भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न संख्या: 2412

सोमवार, 10 अगस्त, 2026 (19 श्रावण 1948 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन को प्वाइंट ऑफ कॉल घोषित किया जाना

2412. श्री सतनाम सिंह संधूः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार को चंडीगढ़ तथा अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों को विदेशी विमान सेवा कंपनियों हेतु प्वाइंट ऑफ कॉल घोषित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रक्रियाओं तथा समय-सीमा, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पर्यटन तथा व्यावसायिक संपर्क बढ़ाने हेतु चंडीगढ़ को क्षेत्रीय विमानन केंद्र के रूप में बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): सरकार को विदेशी एयरलाइनों के लिए चंडीगढ़ को प्वाइंट ऑफ कॉल (पीओसी) घोषित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, चंडीगढ़ और अमृतसर हवाईअड्डों से अंतरराष्ट्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

नामित विदेशी वाहकों को प्वाइंट ऑफ कॉल (पीओसी) प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है जो द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौतों द्वारा शासित होती है। पीओसी प्रदान किया जाना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें भारतीय विमानन क्षेत्र को लाभ, संबंधित देश में भारतीय प्रवासियों की उपस्थिति, भारतीय वाहकों की भावी योजनाएं, दोनों देशों के बीच पारस्परिकता के तत्व, लाभों का संतुलन और अन्य प्रासंगिक कारक शामिल हैं।

वर्तमान में, भारत सरकार भारतीय वाहकों को चंडीगढ़ और अमृतसर सहित गैर-मेट्रो प्वाइंटों से सीधे या अपने स्वयं के घरेलू परिचालनों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय परिचालनों को बढ़ावा दे रही है। तदनुसार, किसी भी विदेशी वाहक को हवाई सेवा समझौतों (एएसए) में नए प्वाइंट ऑफ कॉल के रूप में गैर-मेट्रो प्वाइंट प्रदान नहीं किए जा रहे हैं।
